संख्या-203/2021/1149/23-9-2021-14नाबार्ड(सेतु)/2020

प्रेषक,

महेश कुमार
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ

लोक निर्माण अनुभाग-9 लखनऊ दिनांक 23 दिसम्बर, 2021

विषय - वित्तीय वर्ष 2021-22 में नाबार्ड वित्त पोषित आर0आई0डी0एफ0 योजना के अन्तर्गत अनुदान संख्या-57/83 मद में सेतुओं के चालू कार्यो हेतु धनराशि का आवंटन ।

महादेय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियन्ता (सेतु), लो0नि0वि0, लखनऊ के पत्र संख्या-2932/नाबार्ड योजना (चालू कार्य/आवंटन)/2021-22, दिनांक 29.11.2021 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा आर0आई0डी0एफ0 योजनान्तर्गत स्वीकृत 03 सेतुओं के चालू कार्यो हेतु धनराशि अवमुक्त किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आर0आई0डी0एफ0 योजनान्तर्गत स्वीकृत विभिन्न जनपदों के कुल 03 सेतुओं के चालू कार्यो हेतु संलग्न सारिणी के स्तम्भ-4 में उल्लिखित शासनादेशों द्वारा प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी थी। वित्तीय वर्ष 2021-22 में उक्त 03 सेतुओं के चालू कार्यो हेतु **सारिणी के स्तम्भ-13 के अनुसार** रू0 4,12,85,000/-(रूपये चार करोड़ बारह लाख पच्चासी हजार मात्र) (जिसमें अनुदान सं0-57 से रू0 3.2528 करोड़ एवं अनुदान संख्या-83 से रू0 0.8757 करोड़ की धनराशि सम्मिलित है) की धनराशि निम्नलिखित शर्तो के अधीन अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1- उक्त धनराशि केवल उक्त अंकित परियोजनाओं पर ही मानक व विशिष्टियों के अनुरूप व्यय की जायेगी तथा इसका उपयोग अन्य किसी प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा।
2- नाबार्ड योजनान्तर्गत निर्माणाधीन सेतुओं की गुणवत्तायुक्त निर्माण की प्रगति की नियमित समीक्षा कर निर्धारित समयान्तर्गत् पूर्ण किया जाय तथा समीक्षा रिपोर्ट नियमित रूप से उपलब्ध करायी जाय ।
3- उक्त 03 सेतुओं के सेतु अंश, लोक निर्माण अंश में अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष पृथकपृथक वित्तीय प्रगति सहित वास्तविक भौतिक प्रगति तथा उपयोगिता प्रमाण-पत्र एवं उनके स्थलीय फोटोग्राफ शासन को उपलब्ध कराया जाये ।
4- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-3/2021/बी-1-375/दस-2021-231/2021, दिनांक 22 मार्च, 2021 में वित्तीय स्वीकृतियों निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
5- संलग्न सारिणी के स्तम्भ-4 में उल्लिखित शासनादेशों की शेष शर्ते यथावत रहेंगी।

3- इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 के **अनुदान संख्या-57 के अन्तर्गत** लेखाशीर्षक 5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूँजीगत परिव्यय 04-जिला तथा अन्य सड़कें, 101-पुल, 34-नाबार्ड पोषित आर.आई.डी.एफ. के अन्तर्गत स्वीकृत सेतुओं के चालू कार्यो हेतु व्यवस्था, 00, 24-वृहत् निर्माण कार्य**एवं अनुदान सं0-83 के**

क्रमशः.....

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

अंतर्गत लेखाशीर्षक 5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूँजीगत परिव्यय, 04-जिला तथा अन्य सड़कें, 789-अनुसूचित जातियों के विशेष घटक योजना, 16-नाबार्ड पोषित आर0आई0डी0एफ0 के अन्तर्गत सेतुओं का निर्माण (चालू कार्य), 00, 24-वृहद निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-3/2021/बी-1-375/दस-2021-231/2021, दिनांक 22 मार्च, 2021 में प्राविधानित अधिकारों के अंतर्गत जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

(महेश कुमार)
विशेष सचिव

संख्या उपरोक्त एवं तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ् एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- महालेखाकार, प्रथम (निर्माण), उ0प्र0, प्रयगराज ।
2- संबंधित मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी ।
3- नोडल अधिकारी, बजट आवंटन प्रणाली, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0शासन ।
4- प्रबंध निदेशक, उ0प्र0 राज्य सेतु निगम लि0, लखनऊ।
5- मुख्य अभियन्ता (सेतु) लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
6- उप महाप्रबन्धक, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, उ0प्र0 क्षेत्रीय कार्यालय, 11 विपिन खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
7- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-8/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2 ।
8- समाज कल्याण (बजट प्रकोष्ठ)।
9- राज्य योजना आयोग अनुभाग-1/2 ।
10- संबंधित अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग।
11- लोक निर्माण अनुभाग-10
12- गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या-203/2021/1149/23-9-2021-14नाबार्ड (सेतु)/2020, दिनांक 23 दिसम्बर, 2021 का संलग्नक

(धनराशि रू0 लाख में)

क्र0 सं0	जनपद का नाम	कार्य का नाम	शासनादेश सं0 व दि0	कुल लागत	सेतु निगम अंश	लो0 नि0 वि0 अंश	अनुबन्ध गठन से हुई बचत	अब तक आवंटन (लोक निर्माण विभाग/ सेतु निगम)	दि0 01.04. 2021 का अवशेष (लो0नि0वि0/सेतु निगम)	वित्तीय वर्ष 2021-22 में अवमुक्त धनराशि की फांट		
										अनु-057	अनु0-83	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	बलिया	जनपद बलिया में अमर शहीद स्व0 विवेकानन्द चौबे (सेना मण्डल) के गाव चेरूड़या में 10 सेल बाक्स कल्वर्ट एवं पहुंच मार्ग (सी0सी0 रोड) के निर्माण का कार्य।	12/2019/193/23-9-19-24(नाबार्ड सेतु)/ 2018 दि0 01.03.2019	192.76	0.00	192.76	1.85	148.19	42.72	33.66	9.06	42.72
2	जौनपुर	जनपद जौनपुर में जौनपुर शाहगंज बाईपास पर कमला नेहरू इण्टर कालेज के सामने नाले पर (पाण्डेयपुर व लखनपुर) गाव के बीच पुल का निर्माण कार्य।	12/2019/193/23-9-19-24(नाबार्ड सेतु)/ 2018 दि0 01.03.2019	110.08	0.00	110.08	0.16	68.25	41.67	28.49	7.67	36.16
3	बरेली	जनपद बरेली में विकास खण्ड नबावगंज के अन्तर्गत वीरपुर भदपुरा नकटी नारायणपुर से अमीरनगर सम्पर्क मार्ग पर देवहा नदी पर सेतु, पहुंच मार्ग, अतिरिक्त पहुंच मार्ग एवं सुरक्षात्मक कार्य के निर्माण कार्य	161/2020/1057/ 23-9-2020-08(नाबार्ड सेतु)/ 2019 दि0 11.12.2020	1903.15	1903.15	0.00	0.00	1093.39	809.76	263.13	70.84	333.97
			कुल योग-	2205.99	1903.15	302.84	2.01	1309.83	894.15	325.28	87.57	412.85

(अवमुक्त धनराशि रू0 चार करोड़ बारह लाख पच्चासी हजार मात्र)

(राजेन्द्र प्रसाद)

उप सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।